राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

2017-18

अभियोजन निदेशालय,

प्रशासनिक विभाग गृह, (ग्रुप–10) विभाग

राजस्थान, जयपुर

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका	1
2.	अभियोजन विभाग का संगठनात्मक ढॉचा एवं पदीय स्थिति	2–3
3.	संगठनात्मक ढॉचा	4
4.	विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरुद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 4 वर्ष से तुलना	5–7
5.	आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियॉ	8–9

भूमिका :– आपराधिक न्याय प्रशासन के तीन महत्वपूर्ण अंग है। प्रथम पुलिस, जो आपराधिक घटना के घटित होने के पश्चात् प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के उपरान्त नतीजा न्यायालय में पेश करती है । द्वितीय न्याय पालिका, जो विचारण करती है। तृतीय पक्ष अभियोजन है, जो पुलिस एवं न्याय पालिका के मध्य की भूमिका निभाता है एवं अभियुक्तगण को दण्डित करवाने एवं न्याय व्यवस्था में समुचित सहयोग प्रदान करता है। इस प्रकार आपराधिक न्याय प्रशासन का अभियोजन एक महत्वपूर्ण अंग है।

नवीन ''दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 एक अप्रेल 1974 से प्रभावी हुई। दण्ड प्रकिया संहिता में अभियोजन के महत्व को देखते हुए अभियोजन विभाग को पुलिस विभाग से अलग किया गया। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अनुरुप राज्य में वर्ष 1974 में अभियोजन निदेशालय का गठन किया गया। अभियोजन निदेशालय के प्रमुख, निदेशक अभियोजन को बनाया गया। तत्पश्चात् उक्त पद को क्रमोन्नत कर विशिष्ठ शासन सचिव पदेन निदेशक अभियोजन का पद किया गया ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्ष 2005 में एक नवीन धारा 25ए जोड़ी गयी, जिसके फलस्वरूप राज्य में अभियोजन निदेशालय का पुर्नगठन किया गया है। संहिता की धारा 25ए के प्रावधानों के अनुरूप विशिष्ठ शासन सचिव गृह पदेन निदेशक अभियोजन के पद को परिवर्तित कर राज्य में निदेशक अभियोजन का पद स्वतंत्र रूप से सृजित किया गया एवं अभियोजन निदेशालय के प्रशासनिक विभाग गृह (ग्रुप–10) विभाग में विशिष्ठ शासन सचिव, गृह विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी का पद सचिवालय के स्तर पर सृजित किया गया।

प्रशासनिक ढांचा मजबूत किये जाने हेतु अभियोजन निदेशालय में दो पद अतिरिक्त निदेशक अभियोजन के सृजित किये गये है, जिसमे से एक पद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर का एवं एक पद राजस्थान अभियोजन सेवा से भरे जाने हेतु निर्धारित किया गया है।

3. **<u>अभियोजन विभाग का संगठनात्मक ढॉचा एवं पदीय स्थिति</u>** :–

क. सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण अन्य विभागों में सृजित / प्रतिनियुक्ति के पद
1.	निदेशक अभियोजन	1	0	1	वि.शा.स.गृह के पास अतिरिक्त प्रभार
2.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्यायिक सेवा)	1	1	0	–
3.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन सेवा)	1	1	0	उप निदेशक पद विरुद्ध पदस्थापित
4.	उप निदेशक अभियोजन / लोक अभियोजक	14	8	6	3(2एसीबी +1लोक अभियोजक श्रीगंगानगर)अभियोजन पैरवी हेतु
5.	सहायक निदेशक अभियोजन / विशिष्ठ लोक / अपर लोक अभियोजक	85	78	7	30(16 अपर लोक अभियोजक +11विशिष्ठ लोक अभियोजक +1सी आईडी +1आर पी ए+1पीसी पीएनडीटी) विभिन्न न्यायालयो मे पैरवी हेतु कार्यरत
6.	अभियोजन अधिकारी	260	236	24	07 (2जेडीए+1पीएच क्यू+1आरपीए +2पीटीएस + 1 ए.टी.एस
7.	सहायक अभियोजन अधिकारी	414	366	48	01 सी.आई.डी.(सी.बी.)
8.	सहायक लेखाधिकारी प्रथम	2	2	0	–
9.	निजि सचिव	1	1	0	
10.	अतिरिक्त निजी सचिव	3	3	0	–
11.	संस्थापन अधिकारी	2	0	2	–
12.	प्रशासनिक अधिकारी	5	1	4	
13.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	46	8	38	–
14.	निजि सहायक	5	5	0	–
15.	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	1	1	0	–

16.	कनिष्ठ लेखाकार	24	17	7	—
17.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	0	—
18.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	1	0	—
19.	सांख्यिकी निरीक्षक	1	1	0	—
20.	शीघ्र लिपिक	9	0	9	—
21.	सूचना सहायक	44	22	22	
22.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	125	74	51	—
23.	वरिष्ठ सहायक	277	196	81	
24.	कनिष्ठ सहायक	529	130	399	
25.	ड्राईवर	1	1	0	—
26.	जमादार	31	12	19	—
27.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	676	233	443	—
	योग	**2560**	**1399**	**1161**	**41**

1. अभियोजन निदेशालय का संगठनात्मक ढ़ांचा

(गृह अभियोजन विभाग)

↓

1	निदेशक अभियोजन (विभागाध्यक्ष)
2	दो पद अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (मुख्यालय स्तर पर)
3	उप निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
4	सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
5	सहायक निदेशक अभियोजन (सतर्कता)
6	वरिष्ठ विधि अधिकारी
7	सहायक लेखाधिकारी प्रथम
8	निजी सचिव
9	अतिरिक्त निजी सचिव
10	सहायक अभियोजन अधिकारी(मुख्यालय)
11	सहायक सांख्यिकी अधिकारी / सांख्यिकी निरीक्षक
12	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, कनिष्ठ लेखाकार
13	प्रशासनिक अधिकारी एवं मंत्रालयिक कर्मचारी
14	जमादार / च.श्रे. कर्मचारी

4. **<u>विभागीय प्रमुख कार्य तथा आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 4 वर्ष से तुलना</u>**:–

अभियोजन विभाग के सदस्यों द्वारा की जाने वाली पैरवी व्यवस्था :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तक के न्यायालयों में राजस्थान अभियोजन सेवा के अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की जाती है । इसके अतिरिक्त विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कुल 15, विशिष्ट न्यायालय अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के कुल–4 एवं विशिष्ट न्यायालय एन. डी.पी.एस. एक्ट के कुल–3, विशिष्ट न्यायालय महिला अत्याचार के कुल –2 एवं विशिष्ट न्यायालय प्रिन्टिंग स्टेशनरी, विशिष्ट न्यायालय जाली नोट प्रकरण, विशिष्ट न्यायालय साम्प्रदायिक दंगा एवं विशिष्ट न्यायालय जयपुर बम काण्ड में सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के अधिकारी विशिष्ट लोक अभियोजक के रुप में पैरवी कर रहे है। सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के कुल –15 अधिकारी अपर लोक अभियोजक के रुप में एडीजे स्तर के न्यायालयों में पैरवी कर रहे हैं। लोक अभियोजक श्रीगंगानगर के पद पर उप निदेशक अभियोजन स्तर के अधिकारी द्वारा पैरवी कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

राज्य क्षेत्र के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में वर्ष अक्टूबर 2017 तक की अवधि में समस्त अभियोजन अधिकारियो द्वारा समस्त अपराध वर्गों के 816576 अपराध प्रकरणों में पैरवी कार्य किया गया। पैरवी किये गये उक्त प्रकरणों मे से 244201(29.9 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ तथा 572375 (69.6 प्रतिशत) प्रकरण लम्बित रहें। समस्त अपराध वर्ग में दोष सिद्धि (90.76 प्रतिशत) रहा है।

उक्त कुल विचाराधीन अपराधिक प्रकरणों में भारतीय दण्ड संहिता के प्रकरणों की संख्या 476652 (58.3 प्रतिशत) थी, जिनमे से 77093(16.17 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ। जिसमें दोष सिद्धी 63.22 प्रतिशत रही। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित माह अक्टूबर 2017 तक 3462 अभियोग विचाराधीन रहें, जिनमें 290 प्रकरणों का निस्तारण हुआ तथा 3172 प्रकरण लम्बित रहें तथा दोष सिद्धी का प्रतिशत 48.6 प्रतिशत रहा है।

वर्ष अक्टूबर 2017 तक महिलाओ पर अत्याचार से संबंधित कुल 47684 प्रकरण विचाराधीन रहे, जिनमें 10249 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया तथा 37435 प्रकरण विचाराधीन हैं।

वर्ष जून 2017 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित कुल 9484 प्रकरण विचाराधीन रहे, जिनमें 972 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया तथा 8512 प्रकरण विचाराधीन हैं।

वर्ष सितम्बर 2017 तक महिलाओं पर अत्याचार संबंधी कुल 46501 प्रकरण विचाराधीन थे जिनमें से 9288 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया, 37213 प्रकरण शेष रहे । दोष सिद्धी 32.3 प्रतिशत रही।

अधीनस्थ न्यायालयों में विगत् 4 वर्षों में समस्त अपराध वर्ग अंतर्गत दर्ज/ निस्तारित आपराधिक प्रकरणों की तुलनात्मक समीक्षा

क्र.सं	विवरण	वर्ष 2014	वर्ष 2015	वर्ष 2016	वर्ष 2017 अक्टूबर
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण	510536	510077	517486	555004
2.	दायर	264743	261919	289754	267224
3.	योग	775279	771996	807240	822228
4.	कमिट (–)	9649	9046	7851	5652
A.	कुल विचाराधीन प्रकरण	765630	762950	799389	816576
B.	दोषसिद्धि	191508	179897	187805	185303
C.	दोषमुक्ति	16874	18407	18073	18864
D.	अन्य ढंग से	47171	47160	38507	40034
5.	कुल निर्णित प्रकरण	255553	245464	244385	244201
6.	वर्ष के अन्त में शेष प्रकरण	510077	517486	555004	572375
7.	सजा का प्रतिशत (सजा+बरी प्रकरणों पर)	91.90	90.72	91.22	90.76
8.	निर्णय का प्रतिशत	33.38	32.17	30.57	29.91

अधीनस्थ न्यायालयों में विगत् 4 वर्षों में भा.द.सहिता अंतर्गत दर्ज/ निस्तारित आपराधिक प्रकरणों की तुलनात्मक समीक्षा

क्र.सं	विवरण	वर्ष 2014	वर्ष 2015	वर्ष 2016	वर्ष 2017 अक्टूबर
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण	372206	382874	387972	401167
2.	दायर	107852	97086	95740	80912
3.	योग	480058	479960	483712	482079
4.	कमिट (–)	8932	8411	7486	5427
A.	कुल विचाराधीन प्रकरण	471126	471549	476226	476652
B.	दोषसिद्धि	42823	36299	30611	27900
C.	दोषमुक्ति	14919	16451	15984	16235
D.	अन्य ढंग से	30510	30827	28464	32958
5.	कुल निर्णित प्रकरण	88252	83577	75059	77093
6.	वर्ष के अन्त में शेष प्रकरण	382874	387972	401167	399559
7.	सजा का प्रतिशत (सजा+बरी प्रकरणों पर)	74.16	68.81	65.70	63.22
8.	निर्णय का प्रतिशत	18.73	17.72	15.76	16.17

5. **आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियॉ** :–

1. राजस्थान में अधीनस्थ न्यायालयों में अभियोजन सफलता का प्रतिशत वर्ष जनवरी से अक्टूबर 2017 में अक्टूबर माह तक भा.द.सं. के अन्तर्गत 63.22 तथा समस्त अपराध वर्ग में 90.76 रहा है।
2. पदौन्नति – वर्ष 2017–18 की उप निदेशक अभियोजन ,अतिरिक्त निजी सहायक, निजी सहायक, प्रशासनिक अधिकारी व अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की पदोन्नति की जा चुकी है।
3. भवनों के सम्बन्ध मेंः– विगत चार वर्षो मे जोधपुर, टोंक, कोटा, राजसमन्द, झुन्झुनू, गंगापुर सिटी, औसिया , पीपाड, सुजानगढ तथा नोखा म अभियोजन भवनो का निर्माण कराया गया। कार्यालय हनुमानगढ़, टिब्बी, संगरिया व बाली (जिला पाली) मे निर्माणाधीन अभियोजन भवनो का शीघ्र लोकार्पण कराया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत जिला मुख्यालय स्तर पर सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय डूगरपुर व बांरा हेतु राशि रू. 140.35 लाख की स्वीकृति उपरान्त दिनांक 25.04.17 को वित्तीय एंव प्रशासनिक स्वीकृति जारी होकर डूगरुपर का कार्य प्रारंभ हो चुका है।
4. नियुक्तिः– वर्ष 2017 में 294 सहायक अभियोजन अधिकारियो की विज्ञप्ति जारी होने पर 282 के नियुक्ति आदेश जारी किये गये तथा 2011 मे जारी विज्ञप्ति के क्रम मे न्यायालय के आदेश के क्रम मे 6 के नियुक्ति आदेश जारी किये गये जिसके क्रम मे 242+ 6 ने अपनी उपस्थिति दी तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 33 सहायक अभियोजन अधिकारियो की प्रतिक्षा सूची प्राप्त होने पर 27 सहायक अभियोजन अधिकारी को नियुक्ति दी गयी है। वर्ष 2017 में माह नवम्बर 2017 तक 19 मृतक आश्रितों को कनिष्ठ सहायक एँव वर्ष 2017 में माह नवम्बर 2016 तक 5 मृतक आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित नियुक्ति दी गयी ।
5. विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 मे 247 नवनियुक्त अभियोजन अधिकारियो तथा 40 अभियोजन अधिकारियो को प्रशिक्षण दिया गया।
6. विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 मे 2 पद संस्थापन अधिकारी तथा 3 पद प्रशासनिक अधिकारी के नवीन सृजित हुये है।

7. विभाग द्वारा 13वें वित्त आयोग के बजट से राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर के माध्यम से इस वर्ष 2014–15 मे 485 लैपटाप अभियोजन अधिकारियों को वितरित किये गये थे उनमे से वर्तमानम मे 54 नव नियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी को वितरित किये गये तथा कानूनी पुस्तकों भी ं नव नियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेगे।
8. बजट – अभियोजन विभाग से संबंधित बजट मद 2014–00–114–02–01 (State Fund) में वर्ष 2017–18 मे 6913.45 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है जिसके विरुद्व माह सितम्बर 2017 तक 3068.54 लाख रुपये का व्यय हो चुका है। अभियोजन विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों हेतु कार्यालय भवन के निर्माण के लिए बजट मद 4059–80–(051)–08–00–(17)(Central Assistance) मे वित्तीय वर्ष 2017–18 में राशि रुपये 177.19 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके विरूद्व माह सितम्बर 2017 तक राशि रूपये 47.83 लाख का व्यय हो चुका है।
9. निरीक्षण – वित्तीय वर्ष 2017–18 में माह अक्टूबर तक विभागीय अधिकारियो द्वारा निरीक्षण के 69.30 निर्धारित लक्ष्यो को हासिल किया।
10. अभियोजन सफलता के प्रतिशत का जिलेवार डाटाबेस तैयार किया गया।
11. राजस्थान अभियोजन मैन्यूअल तैयार करने हेतु उप निदेशक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व मे कमेटी का गठन किया गया।
12. वर्ष 2002 के उपरान्त जारी समस्त आदेश/परिपत्रो को शामिल करते हुए नवीन अभियोजन निर्देशिका राज. शासकीय मुद्रालयय मे मुद्रणाधीन है।
13. अभियोजन सेवा के समस्त अधिकारियो का एक डेटाबेस तैयार करने की प्रकिया प्रारम्भ की गई है, जिसके आधार पर उच्च अभियोजन सफलता प्रदान करने वाले अभियोजन अधिकारियो को विभागीय स्तर से सम्मानित एंव निम्न अभियोजन सफलता प्रदान करने वाले अभियोजन अधिकारियो के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।